



आयुष्मान भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश
(दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद्)
जय प्रकाश अस्पताल, आई.ई.सी. ब्यूरो प्रथम तल भोपाल



क्रमांक / एस.एच.ए./ए.बी./2023/ 887

- भोपाल, दिनांक 6/6/2023

— आदेश —

राज्य स्तरीय इम्पेनलमेंट कमेटी की दिनांक 24/05/2023 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के परिपालन में जारी आदेश क्रमांक/सी.ई.ओ./ए.बी./2023/860 भोपाल, दिनांक 02/06/2023 के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सालयों को आदेश जारी होने के दिनांक के तीन दिवस के भीतर नवीन अनुबंध पत्र (MoU) आयुष्मान भारत "निरामयम्" के आधिकारिक ई-मेल आई.डी. पर एवं एम.ओ.यू की हार्ड कॉपी कार्यालय, आयुष्मान भारत "निरामयम्" में जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के संबंध में एम.ओ.यू/अनुबंध पत्र जमा करने की अवधि में संशोधन करते हुये, संबद्ध किये गये चिकित्सालय आदेश जारी दिनांक के 7 दिवस के भीतर एम.ओ.यू/अनुबंध पत्र आयुष्मान भारत "निरामयम्" कार्यालय में जमा करा सकते हैं।

(मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अनुमोदित)


6/06/2023

महाप्रबंधक (ऑपरेशन)
आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र.
भोपाल, दिनांक 6/6/2023

क्रमांक / एस.एच.ए./ए.बी./2023/ 888
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" भोपाल मध्यप्रदेश।
4. कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" भोपाल मध्यप्रदेश।
5. महाप्रबंधक (विधि), आयुष्मान भारत "निरामयम्" भोपाल मध्यप्रदेश।
6. संभाग प्रभारी अधिकारी, (समस्त) आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र.।
7. वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


6/06/2023

महाप्रबंधक (ऑपरेशन)
आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र.